न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/111/17	04–12–2017	17–07–2018

1. सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1. साबिर पुत्र उमर जाति मेव निवासी ग्राम उटावड तहसील हथीन जिला पलवल हरियाणा
2. दौलत पुत्र नसरू जाति मेव निवासी ग्राम उटवाड थाना हथीन जिला पलवाल हरियाणा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4,5,8 आर0बी0एक्ट में जप्तशुदा गौवंश के निस्तारण बाबत

उपस्थितः–

01. श्री जाकर खॉ –वकील (प्रार्थी सुपुर्ददार)

::––निर्णय––::

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ द्वारा एफ0आई0आर0 नम्बर 480/17 अन्तर्गत धारा 4,5,8 आर0बी0एक्ट में प्रार्थी के 6 गाय व 5 बछडों को सुपुदर्गी में दिये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :–

थानाधिकारी पुलिस थाना, रामगढ जिला अलवर ने अपने पत्रांक 4077 दिनांक 28–12–2017 द्वारा अवगत कराया है कि थाना हाजा पर दर्ज एफ0आई0आर नम्बर 480/2017 अन्तर्गत धारा 4,5,8 आर0बी0एक्ट के अनुसार दिनांक 12–11–2017 को श्री मन एचसी मान सिंह द्वारा वापसी पर उक्त प्रकरण दर्ज कराया गया। प्रकरण हाजा में बाद अन्वेषण मुल्जिम साबिर पुत्र उमर जाति मेव निवासी उटावड पुलिस थाना बहीन जिला पलवल हरियाणा, ताहीर पुत्र मजीद जाति मेव निवासी उटावड पुलिस थाना बहीन जिला पलवल हरियाणा, दौलत पुत्र नसरू जाति निवासी उटावड पुलिस थाना बहीन जिला पलवल हरियाणा, जुबेर पुत्र ईसब जाति मेव निवासी रायपुर पुलिस थाना तिजारा जिला अलवर राजस्थान, रफीक पुत्र ईशन जाति मेव निवासी रायपुर पुलिस थाना जिला अलवर, निसार पुत्र शहीद जाति मेव निवासी नीमखेडा पुलिस थाना फिरोजपुर जिला नूंह मेवात हरियाणा के विरूद्व दिनांक 12–11–2.017 धारा 4,5,8 आर0बी0एक्ट में किता की गई। मुल्जिमान द्वारा गाय व बछडों क्रमशः 3 नग 2 नग एवं 3 नग एवं 3 नग को गौकशी के लिए बेचान करने हेतु ले जाना पाया गया है।

साबिर पुत्र उमर जाति मेव एवं दौलत पुत्र नसरू जाति मेव निवासी उटावड तहसील हथीन जिला पलवल हरियाणा ने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त जब्तशुदा गायों व उनके बछडों को नगर निगम जयपुर द्वारा गाय व बछडों की बाबत प्रार्थी साबिर को रवन्ना संख्या 97959 एवं प्रार्थी दौलत रवन्ना संख्या 97958 जारी किया गया था। प्रार्थीगण जो पशुपालना का काम करते है एवं गायों के दुग्ध का विक्रय कर अपने परिवार का पालन पोषण करते है। जिस सम्बन्ध में श्री अब्दुल्ला ब्लॉक समिति मैम्बर पुत्र अब्दूल रजाक, माहिर पंच पुत्र रतीमौहम्मद, श्री हासम नम्बरदार पुत्र नवाब खॉ, श्री उम्मर पुत्र दीनू एवं श्री मजीद पुत्र इबरा निवासीयान उटावड

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

तहसील हथीन जिला पलवल हरियाणा के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। प्रकरण में समक्ष न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण व अन्य की जमानत भी स्वीकार की जा चुकी है। गाय व बछडों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड रहा है तथा चारा–पानी की भी कोई व्यवस्था नही होने से मर जाने की संभावना है। अतः जब्त रहने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा हो रही है। इसलिए उक्त जब्तशुदा गाय व बछडों को सुपुर्दनामा पर दिये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्वान वकील प्रार्थी सुपुर्ददार की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया व प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा विचार किया। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और अस्थाई प्रर्वजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा– 7(1) में स्पष्ट किया गया है कि "जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गोवंशीय पशु अभिगृहीत किये जावें तो अभिगृहीत किये गये गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक ऐजेन्सी को या राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम 24) के उपबंधों के अधीन शासित किसी गोशाला या किसी गोसदन को सोंपी जा सकेगी।" धारा–7 में अभिगृहीत गोवंशीय पशुओं की अन्तरिम अभिरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। जब तलाशी, अभिग्रहण या निरीक्षण के दौरान गोवंशीय पशुओं को अभिगृहीत किया जावे तो उन्हें मामले के अन्तिम निपटारे तक निम्नांकित में से किसी को सुपुर्द किया जा सकेगाः–

(i) गोवंशीय पशुओं के कल्याण के लिए कार्यरत मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन या एजेन्सी,

(ii) राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 के उपबंधों के अधीन शासित गोशाला,

(iii) ऐसा कोई गोसदन, अथवा

(iv) इन तीनों के अभाव में किसी भी अन्य एजेन्सी गौशाला, गो–सदन या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को।"

उक्त से स्पष्ट है कि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक जप्तशुदा गौवंश को प्रकरण से संबंधित व्यक्ति को दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा खारिज किया जाता है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर से प्राप्त पत्र के आधार पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रर्वजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 7(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण में जप्तशुदा गौवंश को श्री दिगम्बर जैन सुधासागर गौशाला समिति, बगड तिराहा के पास, रामगढ रोड, अलवर की सुपुदर्गी में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर को निर्देश दिये जाते है कि यदि उक्त गौशाला में गौवंश अधिक मात्रा में हो तो उक्त गौवंश अन्य किसी नजदीकी गौशाला को सुपुदर्गी में दिये जाकर इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17–07–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)